न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-87/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

अर्जुन मुण्ड बनाम कमल उराँव

02-01-21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – अर्जुन मुण्डा पिता–स्व० सोहराई मुण्डा, ग्राम–ब्लॉक रोड पावर हाउस बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता – कमल उराँव पिता–स्व० गोवर्द्धन उराँव, ग्राम–कटहरटोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री रामचरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–31/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता कमल उराँव पिता–स्व० गोवर्द्धन उराँव, ग्राम–कटहरटोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/28	352	1778	06 डी०
			1779	02 डी०
			1780	05 डी०
			1781	01 डी०
			1782	03 डी०
				कुलः 017 डी०
				चौहद्दीः–
				उ०–प्लॉट नं० 1776 एवं 1777 का अंश।
				द०–प्लॉट नं० 1783 एवं 1784

				का अंश। पू०–सहायक रास्ता। प०–सहायक रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–743 दिनांक–26/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मो० गरूवारी मुण्डारी पति–चैतन मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता स्वयं पंजी–II रैयत है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम अर्जूण मुण्डा है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित खाता में रकबा–17 डी० भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 20–21 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–1.33 डी० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता अर्जुन मुण्डा पिता–स्व० सोहराई मुण्डा, ग्राम–ब्लॉक रोड पावर हाउस बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा–खेती, को क्रेता कमल उराँव पिता–स्व० गोवर्द्धन उराँव, ग्राम–कटहरटोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–31/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता अर्जुन मुण्डा पिता–स्व० सोहराई मुण्डा, ग्राम–ब्लॉक रोड पावर हाउस बुण्डू,

पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) पेशा–खेती, को क्रेता कमल उराँव पिता–स्व० गोवर्द्धन उराँव, ग्राम–कटहरटोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू / 28	352	1778	06 डी०
			1779	02 डी०
			1780	05 डी०
			1781	01 डी०
			1782	03 डी०
				कुलः 017 डी०
				चौहद्दीः–
				उ०–प्लॉट नं० 1776 एवं 1777 का अंश।
				द०–प्लॉट नं० 1783 एवं 1784 का अंश।
				पू०–सहायक रास्ता।
				प०–सहायक रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

8.01.01

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

8.01.01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।